प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.05.2024

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 मोबाइल, 04 चेकबुक अलग अलग बैकों की, 02 चेक, 3 एटीएम कार्ड, 01 पेन कार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 वोटर आईडी, 01 मोहर तथा 10 राज्यों की 32 घटनाओं का खुलासा व कुल 29.57 लाख रू0 रिकवर।

दिनांक 14.03.2024 से दिनांक 03.04.2024 के मध्य श्री कुशल पाल सिंह से कुल 70,00,000/- रूपये विभिन्न खातों में शेयर टेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी । उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री कुशल पाल सिंह द्वारा दिनांक 23.04.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस मुकदमें का अनावरण कर श्री कुशल पाल सिंह के कुल रू0 29,57,774 लाख रूपये रिकवर करते हुए सम्बन्धित अभियुक्तों को फ्राड में प्रयोग की गयी सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका

दिनांक 23.04.2024 को वादी श्री कुशल पाल सिंह निवासी 1105/1106, टावर T2, गुलमोहर गार्डन राज नगर एक्टेशंन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग से सम्बन्धित वीडियों सर्फिंग करते समय साइबर ठगों द्वारा उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप ''RAM INVESTMENT ACADEMY 146'' एवं Techstars VIP-Service-Team[33066] से जोड़ा गया और उस ग्रुप के एक लिंक द्वारा श्री कुशलपाल सिंह को लिंक द्वारा "Techstars" और "UICICR" कूटरचित शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया । ऐप पर शेयर ट्रेडिंग के लिए रजिट्रेशन कराया गया। शेयर ट्रेडिंग करने के लिए व्हाट्सफर ग्रुप के माध्यम से विभिन्न बैंक के भिन्न भिन्न बैंक खातों में शेयर ट्रेडिंग के लिये पैसा ट्रान्सफर कराया । ऐप पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढे हुए मुनाफे को निकालने के लिये और पैसा जमा करवाया जाता था।

अभियुक्त गण द्वारा शेयर ट्रेडिंग हेतु कूटरचित शेयर ट्रेडिंग एप्प "UICICR" में ICICI बैंक के नाम का प्रतिरूपण करते हुए वादी मुकदमा से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे वसूले गये ।

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, गुजरात राज्य के आनंद, भावनगर, तापी कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर, मैसूर शहर केरल राज्य के त्रिशूर ग्रामीण, कोझिकोड शहर, कन्नूर ग्रामीण मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहरी, ग्वालियर महाराष्ट्र राज्य के ठाणे शहर, औरंगाबाद शहर, बृहन मुंबई शहर ओडिशा राज्य के यूपीडी, कटक तेलंगाना राज्य के रचाकोंडा, विकाराबाद, साइबराबाद, हैदराबाद शहर उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, लखनऊ पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम, कोलकाता सेंट्रल डिवीजन जिलों में कुल 32 घटनायें रिपोर्ट की गई हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रवि शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी 8 डी शास्त्री नगर कृष्णानगर थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा उम्र 40 वर्ष शिक्षा 12वीं पास

2. सुशील शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा निवासी फ्लैट नं0 1, श्यामा काम्पलैक्स चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज के सामने, भरतपुर गेट थाना कोतवाली मथुरा हाल पता मैपल होम्स, दून डिवाइन, नियर आईटी पार्क, सी-2, थर्ड फ्लोर जनपद देहरादून उम्र 38 वर्ष शिक्षा बी. काम

3. भानु राघव उर्फ विक्की पुत्र नरेश कुमार राघव हाल पता म0नं0 4, लेन नं0 2, नियर सुरेन्द्र का भट्टा, तूंतोवाला, चन्द्रवणी थाना आईएसबीटी जनपद देहरादून मूल पता म0नं0 1/229, राघव सदन सुरेन्द्र नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ उम्र 38 वर्ष शिक्षा 12 वीं पास

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त रवि शर्मा अपने साथी सुशील शर्मा एवं भानु राघव, मनोज कुमार कठैत के साथ मिलकर फर्जी फर्मों के नाम पर करेन्ट अकाउन्ट खुलवाकर विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर को अकाउन्ट के क्रेडेन्शियल व्हाट्सअप पर भेज दिया करते थे। धोखाधड़ी की ट्रांजैक्शन इन खातों पर होती थी तथा ट्रांजैक्शन की OTP विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर को भेजने के लिये एक AtOtp Forwarder एप का इस्तेमाल करते थे। इस एप के माध्यम से OTP विदेश में इन्टरनेट के माध्यम से चला जाता था। विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर द्वारा सम्पूर्ण ट्रांजैक्शन का 1 प्रतिशत रवि शर्मा, सुशील शर्मा, भानु राघव और मनोज कुमार कठैत को मिलता था। यह लोग अपने साथियों के साथ विदेशी फ्रॉडस्टरों से सीधे जुडे हुए थे। फ्रॉडस्टर इनका हिस्सा इनके बताये हुए खाते में ट्रांसफर करते थे तथा पीडितों से धोखाधड़ी कर अर्जित किये गये पैसे को इनके साथी विदेश भेजते थे। इस घटना में मनोज कुमार कठैत के माध्यम से इन लोगों द्वारा कठैत फाइनेन्शियल सर्विसेस देहरादून नामक फर्जी फर्म बनाकर करेन्ट अकाउन्ट पंजाब नेशनल बैंक की सहस्त्रधारा शाखा देहरादून में खुलवाकर वादी मुकदमा के पैसे धोखाधड़ी से हड़पे थे। इस अकाउन्ट में देश के कुल 32 घटनाओं के 6.5 करोड रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस खाते में 52 लाख रुपये फ्रीज कराये गये थे। दिनांक 14.05.2024 को रवि शर्मा, सुशील शर्मा और भानु राघव को धोखाधड़ी के सामान के साथ डासना कट थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया है।

<u>Google तथा एपल कंपनियों से इन फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप से संबन्धित क्रेडेनसियल हेतु तथा इन एप को उनके प्लैटफ़ार्म से हटाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।</u>

<u>बरामदगी का विवरण -</u> 05 मोबाइल, 04 चेकबुक अलग अलग बैकों की, 02 चेक, 3 एटीएम कार्ड, 01 पेनकार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 वोटर आईडी, 01 मोहर।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>शेयर ट्रेडिंग फ्रौड हेतु प्रयोग किया गया whatsapp ग्रुप</u>

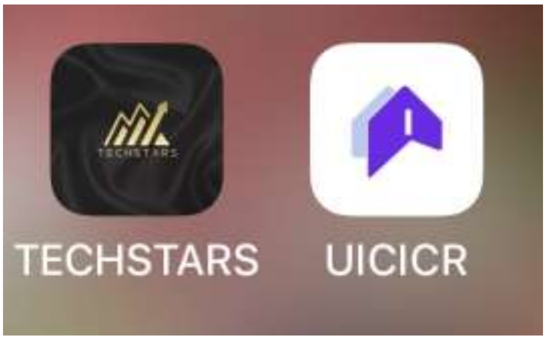

<u>शेयर ट्रेडिंग फ्रौड हेतु प्रयोग किया गया कूट रचित मोबाइल एप</u>

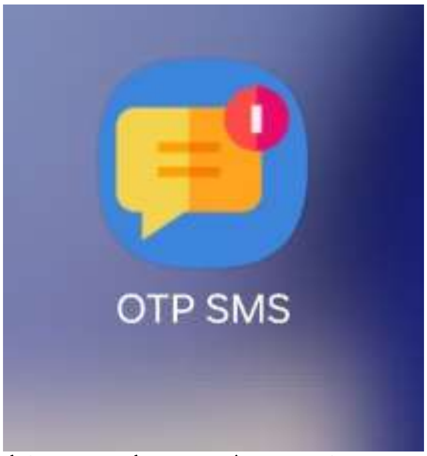

बैंकिंग ट्रांजैक्शन से सम्बन्धित OTP फ्रॉडस्टर को विदेश में भेजने वाला एप।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 15.05.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त मौ0 यूसूफ पुत्र मौ0 अनवार निवासी ए-45 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 34 बर्ष को गुप्ता पार्किग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। अपने खर्च व नशे की पूर्ति करने के लिए दिल्ली से सस्ते दामों में गांजा लाता हूँ। जिसे घूम-घूम कर सब्जी मण्डी व आस पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेचकर शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

मौ0 यूसूफ पुत्र मौ0 अनवार निवासी ए-45 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 34 बर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 500 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।